

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

विवी2 कुमार वनाम श्रीपन्थ झादि

दावा बाबत :- 88 RACT

मुकदमा नम्बर :- 127/2021

निर्णय दिनांक :- 13-12-2021

वादी की ओर से वकील (जयप्रियान्वी जी) की व प्रतिवादी सं० J.C.A.P की ओर से वकील रामभूति तारु की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

देही मोजा गुंजासरी के खाता सं० 74/11 के खासरा सं० 128/100, 130/100, 133/100 कुल 17.6720 हे वारा नीरुमि मुमि में प्रतिवादी सं० 1 श्रीपन्थ के नाम से 3 हे वारा रामसख रिकार्ड में मज है मं से प्रतिवादी सं० 1 श्रीपन्थ के नजाह वादी विनोद कुमार व प्रतिवादी सं० 1 श्रीपन्थ प्रतिवादी सं० 2 श्रीपन्थ, प्रतिवादी सं० 3 सुरेन्द्र के नहिस्सा वरामर के खातेदार का बतकार घोषित किया जात है मुमि प्रतिवादी सं० 4 के अपना समुह एक व दिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ती उ के पक्ष में इ मांग कर मुमि कर लिया है उ विले तमाज किम उम दिस्से पर पंजीयन पमाज को देम पंजीयन मुमि अंग करे व यदि मुमि मुमि के रखे होत रेख मुक होने के अपराता ही रामसख रिकार्ड में अपना शरामद किमि पावे रामगामा को डिी का मांग पठा पावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह पर्या डिक्री आज दिनांक 13-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

